महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः– बंदी शाखा/20042–20083 दिनांकः– 17.08.2010

परिपत्र

1.समस्त मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक,केन्द्रीय कारागार
2.समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक,जिला कारागार 'ए' एवं 'बी'श्रेणी
3.उप अधीक्षक,महिला बंदी सुधारगृह,जयपुर/जोधपुर
4 प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह,अजमेर

विषय :– अनुशासनहीन,उदण्ड बंदियों को स्थानान्तरण के पश्चात् लगातार तारीख – पेशियों के कारण अन्य कारागार पर अनावश्यक नहीं रोकने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जेल नियमों का उल्लंघन करने,गंभीर अनुशासनहीनता,अन्य बंदियों के साथ गिरोहबद्ध होने आदि के कारण एक कारागार से दूसरे कारागार पर बंदी को स्थानान्तरित किया जाता है। इस स्थानान्तरण के पश्चात् बंदी को अनेक अवसरों पर उसी स्थान पर तारीख–पेशी पर आना होता है जहाँ से उसे शिकायतन स्थानांतरित किया गया था।

इस कार्यालय के ध्यान में आया है कि अनेक अवसरों पर इस प्रकार से स्थानान्तरित बंदी को लंबी अवधि तक उसी कारागार में निरूद्ध रख लिया जाता है जहाँ से उसे शिकायतन स्थानांतरित किया गया था। इस कारण बंदी–स्थानान्तरण का वांछित लाभ नहीं मिल पाता है और बंदी पुनः सुधार की ओर अग्रसर होने के बजाय पुराने साथियों से मिलकर पुनः अपराध/अनुशासनहीनता की गतिविधियों में लिप्त हो जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सामान्यतः कारागार प्रभारी द्वारा ऐसे बंदी को अन्य जिले में न्यायालय में तारीख–पेशी हेतु उपस्थित करने के लिये भेजते समय चालानी गार्ड पुनः उसी जेल में दाखिल कराने के लिये पाबंद किया जाये।

इसके अतिरिक्त बंदी की निरन्तर तारीख–पेशियाँ अन्य जिले के न्यायालयों में होने के कारण अन्य कारागृह में रखने की आवश्यकता होने पर उसे विशेष निगरानी में पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी से कारागार में रखा जावे। जिस कारागार में इस प्रकार से अस्थायी तौर पर बंदी निरूद्ध किया जाता है उस कारागार प्रभारी का यह दायित्व है कि यदि आगामी तारीख–पेशी पर बंदी को उपस्थित करने के लिये बंदी को उसके मूल कारागार में दाखिल कराकर वापस लाना संभव हो तो उसे अविलम्ब चालानी गार्ड मंगवाकर पुनः बंदी को मूल कारागार में दाखिल करावें।

चालानी गार्ड द्वारा अनावश्यक बंदी को अन्य कारागार में दाखिल कराने तथा उसे पुनः मूल कारागार में लौटाने हेतु चालानी गार्ड प्राप्त करने में कठिनाई होने पर पुलिस अधीक्षक के ध्यान में प्रकरण लाया जाये। पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी समस्या का निदान न होने पर इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

भवदीय,

17/8/10

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर